

प्रेषक,

श्री अशोक गांगुली,
 संपुक्त सचिव,
 उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
 शिक्षा केन्द्र 2 समुदाय केन्द्र,
 प्रति विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

संलग्नक: दिनांक: 22 जनवरी, 1996

विषय:-

विद्योताधिकार विद्यालय जिनपर हाईस्कूल एत0डी0 फील्ड इटावा को सी0बी0
 एत0डी0 नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनधिकृत प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विद्योताधिकार विद्यालय
 इटावा इटावा को सी0बी0एत0डी0 नई दिल्ली से सम्बन्धता प्रदान किये जाने में उस राज्य
 सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की रजिस्ट्रेशन तोलावटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया
 जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रमुख समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य
 होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित
 जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक
 शिक्षा परिषद द्वारा संज्ञानित विद्यालयों में विभिन्न स्तरों के लिए
 निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी
 और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से वार्षिक शिक्षा
 परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक
 शिक्षा परिषद/कोतिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्वायलिशन
 नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त
 होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान
 स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 5- संस्थाने अधिक एवं अधिकतर कर्मचारियों को राज्यीय सहायता प्राप्त
 शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भर्तों से
 कम वेतनमान तथा अन्य भर्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त
 असातवीय उत्तर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूचित सेवा
 नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

- 7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओं में रखा जायेगा ।
- 9- उक्त शालों में राज्य सरकार के वृत्तनिर्देश के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय परिसर में यथापि भूमि व ज़ीड़ा के मैदान हेतु विद्यालय में 10वीं एफो योजना तहत कम्यारिजों के लिए लागू किया जायेगा तथा यथा समय शासन की अभिलेखित प्रमाण सहित अवगत कराया जायेगा ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की मुक या गतिविधता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय

।आर्कि नांजी।
संयुक्त सचिव ।

पु०सं० 111/15-7-1996 तदुद्दिनांक
=====

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाय एवं आचार्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मध्यमिक संयुक्त शिक्षा निदेशक कानपुर ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, इटावा ।
- 4- निरीक्षक, जॉन भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, पियोलोफिकल विद्यालय बुनियर हाडीकल स०डी०कोल्ड इटावा ।

आज्ञा है,

[Signature]

।आर्कि नांजी।
संयुक्त सचिव ।

[Signature]